पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/536

प्रार्थी :–

1. चम्पालाल पुत्र स्व. कपूरचंद उर्फ कपुराराम
2. रमेश कुमार पुत्र स्व. कपूरचंद उर्फ कपुराराम
3. फुटरमल पुत्र स्व. कपुरचंद उर्फ कपुराराम
4. स्व.शान्तिलाल पुत्र स्व. कपूरचंद उर्फ कपुराराम के कायम मुकाम बनाम बारिसानः–

4.1 जशोदा पत्नी स्व. शांतिलाल
4.2. मोनिका पुत्री स्व. शांतिलाल
4.3. रेणुका पुत्री स्व. शांतिलाल
4.4. दक्ष पुत्र स्व. शांतिलाल
अवयस्क जरिये कुदरती वलिया
माता जशोदा समस्त जातिगण छीपा
निवासीगण सेसली तहसील बाली
जिला पाली राज.

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत सेसली
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सेसली तहसील बाली जिला पाली राज.
3. श्रीमती कमला पुत्री स्व. कपूरंचंद उर्फ कपुराराम पत्नी दशरथ कुमार जाति छीपा निवासी सेसली हाल सुभाष रोड़,फालना स्टेशन, तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 बुक संख्या 12 मिसल संख्या 18/2003–04 दायर दिनांक 05.12.2003 संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2004 जारी दिनांक 05.12.2004 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर।
2. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता भरत जे. राठोड़।

–:निर्णयः–

दिनांकः 27.05.2026

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 बुक संख्या 12 मिसल संख्या 18/2003–04 दायर दिनांक 05.12.2003 संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2004 जारी दिनांक 05.12.2004 को निरस्त करवाने** बाबत् पेश की गई।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता कपुराराम पुत्र लकमाजी जाति छीपा निवासी सेसली द्वारा रुपसिंह पुरोहित पुत्र छत्तरसिंह पुरोहित जाति पुरोहित निवासी सेसली से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1998 को आवासीय कब्जाशुदा मकान कीमत 1,25000/– रुपये में खरीद किया था। जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में भुरजी पुत्र छतरिंगजी पुरोहित का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में विक्रेता रुपसिंह स्वयं का मकान। उक्त मकान की पूर्व व पश्चिम दिशा की लम्बाई 64 फीट यानि कुल क्षेत्रफल 1088 वर्गफीट का बेचान किया था। उक्त कब्जाशुदा मकान का वक्त बेचान निर्माण शुदा का क्षेत्रफल 415 वर्गफीट था। जिसका पट्टा रुपसिंह के नाम पर नहीं बना था। रुपसिंह पुत्र छत्तरसिंह पुरोहित ने भी उक्त भूखंण्ड वागाराम पुत्र समनाजी चौधरी से जरिये विक्रय विलेख खरीद किया था। जिसका भी पट्टा बना हुआ नहीं था। मात्र कब्जा का विक्रय विलेख निष्पादित हुआ था। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 के पिता कपूरचंद उर्फ कपुराराम के द्वारा जरिये विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1998 के खरीदशुदा कब्जाशुदा मकान का पट्टा प्रार्थीगण व अप्रार्थी की माता गीता पत्नी कपूरंचद उर्फ कपुराराम ने अपने नाम से बनाये जानेके लिए ग्राम पंचायत सेसली में प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2003 को पेश किया गया जिस पर मिसल संख्या 18/2003–04 दायरा दिनांक 05.12.2003 को कायम की गई। जिसके तहत पट्टा क्रमांक 33 संकल्प संख्या 05 के जरिये दिनांक 05.12.2004 को दिया गया। प्रार्थीगण का उक्त पट्टा जारी करने से उनके अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ने व अपूर्णीय क्षति कारित होने से व हितबद्ध पक्षकार होने से उक्त पट्टा संख्या 33 को निरस्त करवाने के लिए व्यथित होकर उक्त निगरानी याचिका निम्न आधारो पर पेश है:–

1. प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 17.12.2003 को हुई ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रमांक 03 की माता गीता देवी को अपने नाम से पट्टा बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने का विधि के अनुसार दिनांक 05.12.2003 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र पर दायर मिसल दिनांक 05.12.2003 विधिक रुप से शून्य है और उस पर जारी पट्टा विधिक रुप से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. कपूरंचद उर्फ कपुराराम के जीवनकाल में पट्टा बनाने के लिए उसकी स्वअर्जित कब्जाशुदा भूमि का अधिकार एक मात्र उसे प्राप्त था व उसकी निर्वसीयत मृत्यु के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके उत्तराधिकारी पत्नी पुत्रगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पुत्री को प्राप्त होता है जिसमें सभी उत्तराधिकारियों का समान हिस्सा व हक निहित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रमांक 03 व उनकी स्व. माता श्रीमती गीता का समान हक व हिस्सा अपने पिता व पति की सम्पति में था। गीता के द्वारा गैर वैधानिक रुप से पट्टा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर व तथ्यों को छुपाकर व प्रार्थीगण की जानकारी में लाये बिना ग्राम पंचायत से मिलावट कर पट्टा प्राप्त किया जो विधि विरुद्ध होने से व प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. पंचायत द्वारा कायम मिसल की आदेशिका दिनांक 05.02.2004 में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि जिस भूमि का पट्टा किये जाने का कथन गीता के द्वारा किया गया है व भूमि उसके स्व. पति कपूरंचद उर्फ कपूराराम के द्वारा रुपसिंह पुत्र छतरसिंह पटवारी से खरीद की गई है व रुपसिंह ने उक्त भूमि वागाराम पुत्र चमनाजी चौधरी से खरीद की गई थी। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उनका कब्जा उक्त भूमि पर 05 वर्ष के करीब था ऐसी स्थिति में पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 के तहत जो पट्टा जारी किया गया है व विधि के द्वारा दुषित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
4. पंचायत द्वारा कायम मिसल की आदेशिका दिनांक 05.07.2004 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 की माता स्व. गीता ने कथन किया की खरीद शुदा मकान के दस्तावेज मेरे पुत्र चम्पालाल के पास है जो पेश कर दुंगी ऐसी स्थिति में पंचायत के द्वारा स्व. गीता से उक्त दस्तावेज प्राप्त किये बिना उसका कब्जा 50 वर्ष से पुराना होना मान कर पंचायत राज अधिनियम, की धारा 157 (ख) के अनुसार 200/– रुपये में पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 में वर्णित पड़ौस दक्षिण दिशा में स्वयं का खरीद शुदा मकान व आगे रुपसिंह का मकान बताया गया है जबकि मौके पर ऐसी स्थिति विद्यमान नहीं है। जिससे भी उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।
6. स्व. गीता देवी के नाम से जारी पट्टा उसकी स्वअर्जित सम्पति नहीं थी उसके पति कपूरंचद उर्फ कपुराराम के द्वारा खरीद की हुई सम्पति थी ऐसी स्थिति में स्व. कपुरचंद उर्फ कपुराराम के वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 03 का समान हक व हिस्सा था। ग्राम पंचायत के द्वारा स्व. गीता के नाम से पट्टा जारी करने से प्रार्थीगण क हक व अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है जिससे उक्त पट्टे को निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

7. प्रार्थीगण को उक्त पट्टा जारी होने की जानकारी मई माह 2024 में गांव आने पर हुई जिस पर उनके द्वारा मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तब जानकारी हुई की ग्राम पंचायत के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए व बिना जांच किये स्व. गीता देवी माता के साथ मिलावट कर उक्त पट्टा जारी किया है जिससे यथाशीघ्र उक्त रिवीजन श्रीमान के सक्षम पेश की जा रही है। प्रार्थीगण की मांता का देहांत 30.01.2023 को हो चुका है।

8. प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 स्व. कपुरचंद उर्फ कपुराराम के विधिक वारिसान है।

अतः निगरानी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सेसली के द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 बुक संख्या 12 मिसल संख्या 18/2003–04 दायरा दिनांक 05.12.2003 संकल्प संख्या 05 के जरिये जारी दिनांक 05.12.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थीगण संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि :–

1. पद संख्या एक प्रार्थना पत्र का जवाब है कि प्रार्थीगण के पिता स्व. कपूराराम द्वारा रुपसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह पुरोहित निवासी सेसली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1998 को इस पद में वर्णित नाप व पड़ौस का मकान कीमतन रुपये 1,25000/– में खरीदने का कथन गलत व मिथ्या व निराधार होने से अस्वीकार है तथा उक्त रुपसिंह पुरोहित द्वारा भी भूखण्ड वागाराम पुत्र चमनाजी जाति चौधरी निवासी सेसली से खरीद करने का कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है तथा अचल सम्पति में कब्जे का बैचान नहीं होता है बल्कि स्वत्व व स्वामित्व का बेचान होता है। जिससे प्रार्थीगण का कथन गलत होने से अस्वीकार है जिससे प्रार्थीगण का यह लिखना की प्रार्थीगण के पिता स्व. कपुराराम के द्वारा दिनांक 15.10.1998 को खरीद किया गया मकान का पट्टा प्रार्थीगण की माता गीता ने अपने नाम से बनाये जाने का आवेदन पत्र पेश कर दिनांक 05.12.2003 को पत्रावली नम्बर 18/2003–04 कायम करवाकर पट्टा नम्बर 33 मुर्तिब करवाया दिया जिस पट्टे को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने गलत व मिथ्या आधार पर गलत पंचायत निगरानी पेश की है उक्त सम्पति स्व. कपुराराम की खरीदशुदा, कब्जा शुदा नहीं होकर स्व. गीता पत्नी कपुराराम जाति छीपा निवासी सेसली की स्वअर्जित सम्पति होने से ग्राम पंचायत सेसली द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 व नियमों के तहत स्व. गीता के नाम दिनांक 05.12.2004 को स्वत्व व पट्टा जारी किया गया है जिससे भी प्रार्थीगण इस पंचायत निगरानी के जरिये पट्टा नम्बर 33 को निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने निगरानी याचिका के आधारों का बिन्दुवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. पद संख्या का जवाब है कि प्रार्थीगण के पिता कपुराराम का स्वर्गवास दिनांक 17.12.2003 को हुआ है लेकिन प्रार्थीगण की माता श्रीमती गीता ने अपने नाम से पट्टा व विक्रय विलेख बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत सेसली में विधिनुसार दिनांक 05.12.2003 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर मिसल नम्बर 18/2003–04 मुर्तीब की गई जो ग्राम पंचायत सेसली द्वारा विधि अनुसार मिसल कायम कर विधि व नियमों के तहत पट्टा जारी किया गया है जिस पट्टे को प्रार्थीगण निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है।
2. पद संख्या 02 का जवाब है कि उक्त पट्टा शुदा भूमि कपुरचन्द की स्वअर्जित आय से प्राप्त न होकर स्व. गीता देवी ने अपनी स्व. अर्जित आय से प्राप्त की थी जिससे ग्राम पंचायत सेसली द्वारा गीता देवी के नाम पट्टा नम्बर 33 दिनांक 22.12.2003 को सही जारी किया गया है तथा कपुरचंद की स्वअर्जित सम्पति का पट्टा 29 ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जरिये मिसल संख्या 09/2003–04 से दिनांक 19.08.2003 को आवेदन करने पर ग्राम पंचायत सेसली द्वारा दिनांक 05.12.2004 कपुरचन्द पुत्र लकमाजी जाति छीपा निवासी सेसली के नाम बमुकाम सेसली के आबादी क्षेत्र में निम्नलिखित नाप व पड़ौस का पट्टा संख्या 29 जारी किया गया। जिसके पड़ौस निम्न है:–

उत्तर में:– गली।
दक्षिण में :– आम रास्ता व दरवाजा
पूर्व में:– चारभुजा का मंदिर।
पश्चिम में:– गलाजी पुत्र रुपाजी का मकान।

उपरोक्त पड़ौस का मकान उत्तर से दक्षिण 40 फीट लम्बा व पूर्व से पश्चिम में उत्तरी भुजा 24.3 फीट व दक्षिणी भुजा 24 फीट चौड़ी कुल नाप में 964 वर्गफीट का जारी किया गया जो पट्टा भी प्रार्थीगण की माता गीता पत्नी कपुरचन्द जाति छीपा निवासी सेसली ने बहैसियत क्रेता के हस्ताक्षर कर प्राप्त किा है जिस सम्पति में बाद मृत्यु गीता देवी दिनांक 30.01.2023 में अप्रार्थीया कमला देवी का भी अविभक्त 1/5 हिस्सा आता है। जिस 1/5 हिस्से को प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी कमला व अन्य कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह जवाब प्रस्तुत करती है। प्रार्थीगण का यह लिखना की गीता देवी द्वारा निर्वसीयती मृत्यु होने पर प्रार्थीगण का भी इस विवादित सम्पति में हक व अधिकार आता है का कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है व श्रीमती गीता बाई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित सम्पति का वसीयतनामा दिनांक 05.12.2022 को उपपंजीयक बाली के यहां अपनी पुत्री अप्रार्थी संख्या तीन कमला देवी पुत्री कपुरचंद धर्मपत्नी दशरथ कुमार जाति छीपा निवासी फाना स्टे के हक में वसीयत किया जो वसीयतनामा उपपंजीयक बाली के यहां दिनांक 05.12.2012 को पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 02 में पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 2012000042 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अरिरिक्त पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 04 के पृष्ठ संख्या 496 से 502 पर चस्पा किया गया जो वसीयतनामा बाद मृत्यु गीता देवी दिनांक 30.11.2023 के प्रभावी हो जाने से अप्रार्थी संख्या 03 कमला देवी पट्टा नम्बर 33 की एकमात्र मालिक व स्वामी है जिसकों प्रार्थीगण निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है।

3. पद संख्या 03 का जवाब है कि स्व. कपुराराम ने उक्त भूमि न तो रुपसिंह पुरोहित से खरीदी व नही रुपसिंह पुरोहित ने उक्त भूमि वागाराम चौधरी से ही खरीद की है जिससे प्रार्थी का यह लिखना की उक्त भूमि पर गीता देवी का 05 वर्ष के करीब कब्जा होने से धारा 157 के तहत पट्टा जारी विधि के नियमों के विपरित जारी किया गया है का कथन गलत होने से अस्वीकार है।
4. पद संख्या 04 का जवाब है कि विवादित सम्पति पर स्व. गीता देवी का शांतिपूर्वक लगातार बेरोकटोक कब्जा चला आने व स्वयं की खरीदशुदा होने से स्व. गीता ने नियम 157 के तहत पट्टा नियमन करने हेतु निवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत सेसली द्वारा बाद जांच व अनुसंधान के स्व गीतादेवी पट्टा प्राप्त करने की योग्यता रखने से सही पट्टा नम्बर 33 जारी किया गया है। जिससे प्रार्थीगण निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है।
5. पद संख्या 05 का आधार गलत व मिथ्या होनेसे अस्वीकार है। पट्टे में वर्णित नाप व पड़ौस मौके पर मेल खाते है ग्राम पंचायत सेसली द्वारा बाद मौका निरीक्षण आवश्यक औपचारिकताओं का निर्वहन कर पट्टा जारी किया गया है जो सही होने से प्रार्थीगण निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं है।
6. पद संख्या 06 का आधार का जवाब है कि प्रार्थीगण की स्व अर्जित सम्पति होने से ग्राम पंचायत सेसली द्वारा पट्टा नम्बर 33 सही जारी किया गया है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का कोई हनन व कुठाराघात नहीं होता है जिससे भी प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी काबिल निरस्त के है।
7. पद संख्या 07 का जवाब है कि बाद मृत्यु गीता दिनांक 30.01.2023 को होने के पश्चात प्रार्थीगण अपने सकुनत आये व प्रार्थीगण द्वारा बाद मृत्यु सभी क्रियाकलाप सम्पन्न कर अपने व्यवसायिक स्थान पर चले गये व जब 2023 में सभी प्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सम्मिलित हुए तब प्रार्थीगण को जानकारी में था की ग्राम पंचायत सेसली द्वारा पट्टा नम्बर 33 दिनांक 22.12.2004 को बनाया गया व उक्त पत्रावली स्व. श्रीमती गीता देवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.12.2012 को पंजीबद्ध वसीयतनामा के जरिये अप्रार्थी कमला देवी के हक में पट्टा संख्या 33 की सम्पति वसीयत की जो सम्पति बाद मृत्यु दिनांक 30.01.2023 को कमला देवी को मालिकाना अधिकार के जरिये प्राप्त हुई है जिस स्वामित्व दस्तावेज को प्रार्थीगण निरस्त करवाने के विधि के तहत अधिकारी नहीं है।

8. पद संख्या 08 का जवाब है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कमला स्व. कपुरचन्द व गीता के विधिक उत्तराधिकारी है। अतः जवाब पंचायत निगरानी याचिका पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रकरण के संबंध में अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुए दलील दी कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या तीन के पिता स्व. कपूराराम की क्रयशुदा स्वअर्जित सम्पति है जो उनके द्वारा दिनांक 15.10.1998 को ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख क्रय की गई थी किन्तु उनके जीवनकाल में ही उनकी पत्नी स्व. गीतादेवी द्वारा ग्राम पंचायत सेसली में आवेदन प्रस्तुत कर इस भूखण्ड का अकेले स्वयं के नाम भूमि विक्रय विलेख प्राप्त किया गया स्व. कपूराराम के वैध वारिसदार होने के नाते प्रार्थीगण का भी उक्त भूखण्ड में समान हक व अधिकार निहित रहा है एवं ग्राम पंचायत को इस तथ्य की पूर्व ज़ानकारी होते हुए भी अकेले गीता देवी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर वैधानिक त्रुटि कारित की गई है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 03 ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए वक़्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड स्व. कपूराराम की क्रयशुदा सम्पति न होकर स्व. गीता देवी की स्वअर्जित सम्पति थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया है। यह भी, कि स्व. गीतादेवी द्वारा प्रश्नगत पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थिया श्रीमती कमला के पक्ष में दिनांक 05.12.2022 को वसीयत किया गया एवं दिनांक 30.01.2023 को गीतादेवी की मृत्यु उपरान्त उक्त वसीयत प्रभाव में आने से प्रार्थीगण को आलोच्य भूखण्ड में कोई Locus Standi नहीं है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किएः—

1. 2021(1) DNJ (Raj) 187
2. 2022 (3) DNJ (Raj) 949

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418 / 2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थीगण संख्या एक एवं दो की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु वक़्त बहस कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सेसली द्वारा मिसल संख्या 18/2003–04 में ज़रिए संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2004 स्व. गीतादेवी पत्नी श्री कपूराराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के प्रावधानान्तर्गत आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 33 दिनांक 22.12.2004 निष्पादित किया गया। स्व. गीतादेवी की मृत्यु दिनांक 30.01.2023 से पूर्व उनके द्वारा उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड अपनी पुत्री अप्रार्थी संख्या तीन श्रीमती कमला के पक्ष में वसीयत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा इस निगरानी याचिका के माध्यम से आलोच्य प्रस्ताव एवं भूमि विक्रय विलेख को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि प्रश्नगत विवादित भूखण्ड उनके पिता स्व. कपूराराम की क्रयशुदा स्वअर्जित भू सम्पति थी तथा उनके जीवनकाल में ही उनकी पत्नी अर्थात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थिया की माता स्व. गीता देवी द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त भूखण्ड को स्वयं का पुश्तैनी भूखण्ड बताते हुए अकेले स्वयं के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करवाया गया। अप्रार्थी संख्या तीन ने ज़रिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर जवावपत्र के पद संख्या एक में यह अंकन किया है कि आलोच्य भूखण्ड स्व. कपूराराम का क्रयशुदा भूखण्ड न होकर स्व. गीतादेवी की स्वअर्जित सम्पति है।

इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1998 के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि स्व. कपूराराम द्वारा श्री रुपसिंह पुरोहित से क्रय किए गए भूखण्ड एवं ज़ैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 33 की चतुर्दशी समान है तथा भुजाओं का माप भी नगण्य अन्तर के साथ लगभग समान है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सेसली द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या तीन की माता स्व. गीतादेवी के पक्ष में निष्पादित आलोच्य भूमि विक्रय विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड वस्तुतः उनके पति स्व. कपूराराम द्वारा पंजीबद्ध विलेख द्वारा क्रय किया गया भूखण्ड है।

इसके विपरित अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा जवाबपत्र के पद संख्या एक में यह कथन अवश्य किया है कि उक्त भूखण्ड स्व. कपूराराम की क्रयशुदा सम्पति न होकर स्व. गीतादेवी की स्वअर्जित सम्पति है किन्तु अपने उक्त कथन की पुष्टि हेतु अप्रार्थिया ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यहां तक कि अप्रार्थिया ने जवाबपत्र में जिस पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 05.12.2004 का उल्लेख किया है, उक्त विलेख में अंकित चतुर्दशी विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1998 में उल्लेखित भूखण्ड की चतुर्दशी से किसी प्रकार मेल नहीं खाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ज़ैर निगरानी पट्टा विलेख से सम्बन्धित मूल मिसल संख्या 18/2003–04 की आदेशिका दिनांक 05.02.2004 तथा 05.07.2004 में स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत सेसली द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थिया गीतादेवी के पति (स्व. कपूराराम) द्वारा क्रयशुदा है। अर्थात् उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह निर्विवादित तथ्य है कि ज़ैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थिया के पिता तथा स्व. गीतादेवी के पति स्व. कपूराराम द्वारा दिनांक 15.10.1998 को ज़रिए पंजीकृत विक्रय विलेख क्रयशुदा भू सम्पति थी। यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि उक्त श्री कपूराराम की मृत्यु दिनांक 17.12.2003 से पूर्व ही श्रीमती गीतादेवी द्वारा दिनांक 05.12.2003 को ग्राम पंचायत में एक आवेदन प्रस्तुत कर इस भूखण्ड को स्वयं का पुश्तैनी भूखण्ड बताते हुए पट्टे की मांग की गई। मूल मिसल संख्या 18/2003–04 पर दायर दिनांक भी 05.12.2003 ही अंकित है जो कि स्व. कपूराराम की मृत्यु तिथि से पूर्व की है।

संक्षेप में, जैर निगरानी आलोच्य भूखण्ड स्व. कपूराराम का स्वअर्जित क्रयशुदा भूखण्ड होते हुए भी उनकी पत्नी गीतादेवी द्वारा उनके जीवनकाल में ही इसे स्वय का पुश्तैनी भूखण्ड अंकित करते हुए पट्टे हेतु आवेदन किया गया तथा ग्राम पंचायत सेसली द्वारा भी उक्त भूखण्ड स्व. कपूराराम का क्रयशुदा सम्पति होने की जानकारी होते हुए भी (जैसा कि मूल मिसल की आदेशिका दिनांक 05.02.2004 तथा 05.07.2004 में अंकित है) इसका विक्रय विलेख अकेले गीतादेवी के पक्ष में निष्पादित किया गया। ग्राम पंचायत सेसली से यह अपेक्षित था कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व स्व. कपूराराम के समस्त वैध वारिसों की जांच पड़ताल की जाती तथा उक्त भूखण्ड का पूर्व में कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं होने की स्थिति में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के उपबन्धान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती। किन्तु, ग्राम पंचायत द्वारा स्व. कपूराराम के क्रयशुदा स्वअर्जित भूखण्ड को अकेले उनकी पत्नी स्व. गीतादेवी का पुश्तैनी भूखण्ड मानते हुए नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पुश्तैनी घरों के विनियमितिकरण के रुप में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 33 निष्पादित किया गया।

यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि मूल मिसल में स्व. गीतादेवी के तथाकथित पुश्तैनी कब्जे के सम्बन्ध में कोई जाँच सम्पादित करना भी प्रमाणित नहीं होता है। यहाँ तक कि, न तो गीतादेवी के आवेदन में और न ही गवाहों के बयानों में कब्जे की अवधि का कहीं कोई अंकन है। ऐस में यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी किसी जांच अथवा तथ्यों के अभाव में गीतोदवी का आलोच्य भूखण्ड पर पूर्वोक्त नियम 157 में उपबन्धित अवधि का कब्जा होने की उपधारणा किस आधार पर की गई?

इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मूल मिसल संख्या 18/2003–04 में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार पर न तो क्रमांक अंकित है और न ही दिनांक। यहाँ तक कि उक्त आपत्ति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 418/2024
उनवान : चम्पालाल व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सेसली व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

इश्तिहार की चस्पानगी की पुष्टि हेतु दो मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि:–

"(1)यदि पंचायत अन्तिम रुप से यह विनिश्चय करें कि विक्रय किया जाये तो वह उप नियम (2) में अधिकथित रीति से प्रारुप 22 में एक नोटीस, प्रस्तावित विक्रय के संबंध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर, आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। परन्तु राजस्व अभियान प्रशासन गांव के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों की आक्षेप आमन्त्रण की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट दो प्रतियों में नोटीस तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।"

सारांशतः, याचीगण का यह आक्षेप दस्तावेजी आधार पर सिद्ध पाया जाता है कि ग्राम पंचायत सेसली द्वारा स्व. कपूराराम के क्रयशुदा व स्वअर्जित भूखण्ड की पूर्व जानकारी होते हुए भी तथा अन्य वैध वारिसों की जांच किए बिना अकेले उनकी पत्नी स्व. गीतादेवी के पक्ष में नियम 157 पुश्तैनी घरों के विनियमितिकरण के रुप में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख तथा संकल्प पारित कर वैधानिक त्रुटि कारित की गई है।

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेसली द्वारा मिसल संख्या 18/2003–04 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.12.2004 एवं इसकी अनुपालना में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 33 दिनांक 22.12.2004 को अपास्त किया जाता है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत सेसली को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि स्व. कपूराराम के समस्त वैध वारिसों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के प्रावधानानुरुप नये सर निर्णय पारित करें।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सेसली को यह भी निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क व निरस्त का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)